संचिका सं0– 07/न०प्र०नि०/PMAY-(HFA)/01/2015....174

झारखण्ड सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

अजय कुमार सिंह,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं हक०),
पो०– हिनू, राँची।

राँची/दिनांकः– 10/01/19 /

विषयः–केन्द्र प्रायोजित प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 में राज्य के 3 नगर निकायों (Cluster-1) में तृतीय घटक अंतर्गत स्वीकृत "भागीदारी में किफायती आवास" (AHP) परियोजनाओं हेतु तकनीकी अनुमोदन प्राप्त प्राक्कलित राशि कुल रु० 28239.89000/– (दो सौ बिरासी करोड़ उनचालिस लाख नवासी हजार रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार कहना है कि केन्द्र प्रायोजित प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 में राज्य के 3 नगर निकायों यथा जमशेदपुर, चाईबासा एवं चक्रधरपुर में योजना के तृतीय घटक अंतर्गत स्वीकृत AHP परियोजनाओं के तहत आधारभूत संरचनाओं सहित 4060 DUs (G+3) के निर्माण के लिए तकनीकी अनुमोदन प्राप्त प्राक्कलन के आधार पर योजना कार्यान्वयन हेतु प्रशासनिक स्वीकृति निम्नवत् प्रदान की जाती है :–

Amount in Lakh

Sl. No.	ULBs Name	Project Location	Approved EWS Units	Total Project Cost	Central Share	State Share	Beneficiary Share + Community Centre Cost+ Centage & Others
1	Jamshedpur	Bagunhatu	2480	17125.25	3720.00	2480.00	10925.25
2	Chaibasa	Salihatu	460	3272.2	690.00	460.00	2122.2
3	Chakradharpur	Potka	1120	7842.44	1680.00	1120.00	5042.44
	Total		**4060**	**28239.89**	**6090.00**	**4060.00**	**18089.89**

2. विदित हो कि पूर्व में योजना के तृतीय घटक अंतर्गत उपरोक्त निकायों में आवासों के निर्माण हेतु भारत सरकार द्वारा CSMC के विभिन्न बैठकों में स्वीकृति प्रदान की गयी थी। पुनः विभागीय संकल्प संख्याः 5382 दिनांकः 02.11.18 के आलोक में उपरोक्त परियोजना के संशोधित विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPRs) सर्वश्री जुडको लि0 से प्राप्त हुए हैं, जिसपर दिनांकः 26.12.2018 को सम्पन्न राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति (SLSMC) द्वारा अनुमोदन दिया गया है।
3. उक्त परियोजना G+3 प्रारूप पर विकसित की जाएगी।
4. उपर्युक्त आवासीय परिसरों का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) सर्वश्री जुडको लि० द्वारा तैयार कराया गया है तथा उक्त पर तकनीकी कोषांग, नगर विकास एवं आवास विभाग से तकनीकी अनुमोदन प्राप्त है।
5. तकनीकी स्वीकृत DPR पर निकाय की सहमति तथा लाभुकों की सहमति संबंधित प्रतिवेदन नगर निकायों से प्राप्त होने के उपरान्त ही आवासों पर कार्य प्रारंभ किया जाएगा।

6. प्रस्तावित योजना अठारह माह (18 माह) में पूरी की जायेगी।

7. योजना का क्रियान्वयन सर्वश्री JUIDCO Ltd. के द्वारा खुली निविदा के माध्यम से संवेदक चयन कर किया जाएगा।

8. चाईबासा, चक्रधरपुर एवं जमशेदपुर (बागुनहातू) में एक–एक परियोजना की तकनीकी अनुमोदन निम्न अव्ययों के साथ प्राप्त है :–

174
10/01/19

8.1. परियोजना स्थल चाईबासा (सालीहातू)

Sl. No.	Description	Unit	No.	Rate	Amount In Rs.
1	EWS (G+3) with 5 units per floor housing main building with plumbing and sanitary works, electrical and septic tank	Each block	23	10305813.90	237033719.70
2	Community centre (G+2) with main building , plumbing and sanitary works, electrical and septic tank	Each block	02	8229893.62	16459787.23
3	Barbed wire fencing	M	470	648.00	304560.00
4	Entry/Exit gate	Each	02	37358.00	74716.00
5	Internal Road	100 M	5.00	761347.07	3806735.36
6	Drain	100 M	5.19	136721.86	709586.43
7	Sump	Each	04	560637.38	2242549.51
8	HYDT bore well with submersible pump	Each	12	299481.10	3593773.20
9	Rain water harvesting tank	Each	23	252848.47	5815514.86
10	Sub Total				270040942.00
11	GST @ 12%				32404913.00
12	Total				302445855.00
13	Labour Cess @ 1%				3024458.00
14	(DPR + PMC) @ 1.53%				4627421.00
15	Centage charges of JUIDCO				17122293.00
16	Grand Total				327220027.00
17	**Say**				**327220000.00**

8.2. परियोजना स्थल चक्रधरपुर (पोटका)

Sl. No.	Description	Unit	No.	Rate	Amount
1	EWS (G+3) with 5 units per floor housing main building with plumbing and sanitary works, electrical and septic tank	Each block	56	10299053.67	576747005.61
2	Community centre (G+2) with main building , plumbing and sanitary works, electrical and septic tank	Each block	04	8221596.92	32886387.67
3	Barbed wire fencing	M	824	651.00	536424.00
4	Entry/Exit gate	Each	02	37367.00	74734.00
5	Internal Road	100 M	11.18	760773.07	8505442.95
6	Drain	100 M	14.75	138525.84	2043256.14
7	Sump	Each	10	558652.27	5586522.72
8	HYDT bore well with submersible pump	Each	30	299481.10	8984433.00
9	Rain water harvesting tank	Each	56	252848.47	14159514.45
10	Sub Total				649523720.00
11	GST @ 12%				77942846.00
12	Total				727466566.00

					7274665.00
13	Labour Cess @ 1%				11130238.00
14	(DPR + PMC) @ 1.53%				38373328.00
15	Centage charges of JUIDCO				784244797.00
16	Grand Total				**784244000.00**
17	**Say**				

174
10/01/19

8.3. परियोजना स्थल जमशेदपुर (बागुनहातू)

Sl. No.	Description	Unit	No.	Rate	Amount
1	EWS (G+3) with 5 units per floor housing main building with plumbing and sanitary works, electrical and septic tank	Each block	124	10305442.79	1277874906.06
2	Community centre (G+2) with main building , plumbing and sanitary works, electrical and septic tank	Each block	9	8224958.21	74024623.85
3	Barbed wire fencing	M	1160	644.00	747040.00
4	Entry/Exit gate	Each	3	37312.00	111936.00
5	Internal Road	100 M	24.04	818542.79	19677768.66
6	Drain	100 M	31.06	136184.85	4229901.47
7	Sump	Each	24	557966.60	13391198.33
8	HYDT bore well with submersible pump	Each	62	299481.10	18567828.20
9	Rain water harvesting tank	Each	124	258544.00	32059456.14
10	Sub Total				1440684658.00
11	GST @ 12%				172882159.00
12	Total				1613566817.00
13	Labour Cess @ 1%				16135668.00
14	(DPR + PMC) @ 1.53%				24687572.00
15	Centage charges of JUIDCO				58135668.00
16	Grand Total				1712525725.00
17	**Say**				**1712525000.00**

9. उपरोक्त कंडिका में अंकित योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु राज्यांश एवं केन्द्रांश की राशि का आवंटन वित्तीय वर्ष 2018–19 एवं उत्तरोतर वर्षों में निम्नांकित बजट शीर्ष से किये जाने का प्रस्ताव है :–

केन्द्रांश	राज्यांश
मुख्यशीर्ष–2217–शहरी विकास–उप मुख्य शीर्ष–80–सामान्य–लघु शीर्ष– 796 जन जातीय क्षेत्र उपयोजना– उपशीर्ष – 89 प्रधानमंत्री आवास योजना (पी०एम०ए०वाई०) हेतु अनुदान (केन्द्रांश)– विस्तृत शीर्ष– 06 अनुदान–79–सहायता अनुदान सामान्य (गैर – वेतन) – 48C221780796890679.	मुख्यशीर्ष–2217–शहरी विकास–उप मुख्य शीर्ष–80–सामान्य – लघु शीर्ष– 796 जन जातीय क्षेत्र उपयोजना– उपशीर्ष – 89 प्रधानमंत्री आवास योजना (पी०एम०ए०वाई०) हेतु अनुदान (राज्यांश)– विस्तृत शीर्ष– 06 अनुदान–79– सहायता अनुदान सामान्य(गैर–वेतन)– 48S221780796890679.

10. नगर विकास एवं आवास विभाग के संकल्प ज्ञापांक संख्या: 6821 दिनांक: 14.12.2016 के आलोक में सर्वश्री JUIDCO Ltd. को Centage Charge देय होगी। जुडको लि० को देय Centage Charge एवं योजना के DPRs एवं PMC हेतु परामर्शियों को भुगतेय परामर्शी शुल्क का भुगतान राज्य योजना मद के "शहरी योजना एवं परियोजना प्रबंधन हेतु सहाय्य अनुदान" मद में उपबंधित राशि से किया जाएगा।

11. चाईबासा, चक्रधरपुर एवं जमशेदपुर (बागुनहातू) में एक–एक कुल 03 परियोजनाओं अंतर्गत सामुदायिक केन्द्र का निर्माण कार्य पृथक निविदा के माध्यम से किया जाएगा एवं उस पर होने वाला व्यय राज्य योजना के **"शहरी जलापूर्ति, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सिवरेज एवं ड्रेनेज, नगरीय आधारभूत सरंचनाएँ, आवास आदि शहरी योजनाएँ"** मद में उपबंधित राशि से किया जाएगा।

12. योजना क्रियान्वयन जुडको लि० के द्वारा कराया जायेगा। PMAY(U) अंतर्गत योजनाओं का कार्य राशि के अभाव में अवरूद्ध नहीं हो एवं राशि के प्रबंधन में सुगमता हो, इसलिए इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु जुडको लि० द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंक में एक अलग खाता संचालित किया जायेगा एवं उसका Integration PFMS (Public Finance Management System) से कराया जायेगा। आवश्यकतानुसार जुडको लि० द्वारा राशि की मांग/परियोजना प्रगति प्रतिवदेन उपस्थापित करने पर विभागीय संकल्प संख्या–5382 दिनांकः 02.11.2018 की कंडिका–14 एवं 15 के आलोक में निदेशालय स्तर पर संधारित Jharkhand Affordable Housing Development Fund (JAHDF) के माध्यम से राशि जुडको लि० के संबंधित बैंक खाते में हस्तांतरित की जाएगी।

13. योजना का क्रियान्वयन भारत सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा–निर्देश, प्रासंगिक विभागीय संकल्प, विभागीय अधिसूचना, मुख्य सचिव, झारखण्ड की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय स्वीकृति एवं अनुश्रवण समिति (SLSMC) एवं नगरीय प्रशासन निदेशालय द्वारा समय–समय पर जारी मार्गदर्शिका के आलोक में किया जाएगा।

14. उपरोक्त बिन्दुओं पर दिनांकः 26.12.2018 को मुख्य सचिव, झारखण्ड की अध्यक्षता में सम्पन्न राज्य स्तरीय स्वीकृति एवं अनुश्रवण समिति (SLSMC) की बैठक में अनुमोदन प्राप्त है तथा उक्त पर मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

15. यह प्रशासनिक स्वीकृति आदेश मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग की अधिसूचना संख्या 301 दिनांक 11.03.2015 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

16. उक्त प्रस्ताव पर माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

17. यह आवंटनादेश नहीं है, इसके लिए अलग से आवंटन आदेश निर्गत किया जाएगा।

विश्वासभाजन

(अजय कुमार सिंह)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक– 07/न०प्र०नि०/PMAY-(HFA)/01/2015......174...... **राँची, दिनांक–**......10/01/19..

प्रतिलिपिः– माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग/निदेशक, नगरीय प्रशासन निदेशालय के प्रधान आप्त सचिव/योजना–सह–वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची/अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक जुडको लि०/विशेष पदाधिकारी, जमशेदपुर अ०क्षे०स०/कार्यपालक पदाधिकारी, चक्रधरपुर एवं चाईबासा/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, नगर विकास एवं आवास विभाग/कोषागार पदाधिकारी प्रोजेक्ट भवन कोषागार धुर्वा, राँची/अवर सचिव, बजट शाखा, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची/सहायक निदेशक–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगरीय प्रशासन निदेशालय/लेखा शाखा, नगरीय प्रशासन निदेशालय/श्री कुणाल, विशेषज्ञ को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।